विचार बिन्दु

चरित्र मनुष्य के अन्दर रहता है, यश उसके बाहर। -अज्ञात

# भूमि विवाद -अधिकांश समस्याओं की जड़

भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो अधिकांश के मूल में भूमि सबंधी विवाद है। ये विवाद कई सालों तक चलते रहते हैं और कई बार तो इनके अंतिम निस्तारण में दो-तीन पीढ़ियां तक निकल जाती हैं। यदि भूमि संबंधित विवादों को कम किया जा सके तो कुल मुकदमों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। भूमि विवाद उत्पन्न होने के कई कारण है, जिनका विवेचन और विश्लेषण, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इस लेख में करने का प्रयास किया गया है।

कृषि भूमि से संबंधित विवाद नामांतरण, गैर -खातेदारी से खातेदारी, आवंटन, वन क्षेत्र में खनन और राजस्व क्षेत्र में भूमि पर खनन की अनुमति आदि के कारण हैं। नदी, नाले एवं अन्य गैर मुमकिन भूमि पर कृषि कार्य आदि करने के कारण उन पर भी कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। भूमि संबंधी अधिकांश विवादों की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण, भूमि अभिलेखों का भलीभांति संधारण नहीं होना है। साथ ही समय-समय पर हुए स्वामित्व और उपयोग परिवर्तन की प्रविष्टि, समय पर पूरी नहीं होना है। राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन (updation) करने की दृष्टि से सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रति 20 वर्ष में सेटलमेंट के आधार पर नया रिकॉर्ड बनाया जाता था। पूर्व में, इस विभाग में काम करने वाले अमीन एवं अन्य कर्मचारी अपने काम में पारंगत होते थे, जिसके कारण भूमि के माप एवं उसके वर्गीकरण को अच्छी तरह किया जाता था। किसी प्रकार का विवाद होने पर उसे त्वरित गति से निपटा दिया जाता था। कालांतर में कार्यकुशलता में कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण सेटलमेंट के कारण इतनी गडबड़ी होने लगीं कि सेटलमेंट विभाग को 'अनसेटलमेंट' विभाग कहा जाने लगा। सेटलमेंटमेंट के पश्चात बड़ी संख्या में विवाद उत्पन्न हुए जो पड़ोसियों के बीच में झगड़े का प्रमुख कारण बने। विवाद का एक और कारण, आवंटित भूमि पर समय पर कृषि कार्य न करना एवं उसे पड़ी रखना है। इसके कारण आवंटन निरस्तनीय हो जाता है। एक निर्धारित समय सीमा तक आवंटी द्वारा, आवंटित भूमि को खेती के लिए काम में न लेने पर आवंटन को निरस्त करने का प्रावधान नियमों में रखा गया। एक बार खातेदारी मिलने पर उसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। वैसे, प्रत्येक कृषि भूमि का स्वामित्व तो राज्य सरकार के पास ही रहता है। राज्य की ओर से तहसीलदार अधिकृत अधिकारी होता है। इसी कारण किसी भी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन करने, भूमि के हस्तांतरण को नियमित या नियंत्रित करने का अधिकार राज्य के पास ही रहता है। भूमि का खातेदार होते भी, उसके अधिकारों को नियमित करने के प्रावधान राजस्थान टेनेंसी एक्ट में दिए गए हैं। भू राजस्व अधिनियम, भूमि के उपयोग के परिवर्तन के संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया को निर्धारित करता।

किसी की मृत्यु होने पर, उत्तराधिकार के आधार पर, बेचान के आधार पर, वसीयत के आधार पर नाम परिवर्तन होता है। कई बार, भूमि पर जिसका कब्जा है, वह उसके खाते में दर्ज नहीं होती और जो किसी के खाते में भूमि दर्ज है, वह उसके कब्जे में नहीं होती।

मूल प्रश्न यही रहता है कि जब तक रिकॉर्ड और मौका एक समान नहीं होते, तब तक विवाद निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं। कई बार इस प्रकार के विवाद, दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं, कई बार एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच में होते हैं। भूमि का विवाद अनेक बार कई हिंसक घटनाओं को भी जन्म देता है। हमें यह विचार करना होगा कि मौका और नक्शा समान क्यों नहीं हैं? समय पर नामांतरण क्यों नहीं हो सकता?

राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की कार्यवाही लगभग 30 वर्षों से की जा रही है, किंतु अभी तक भी इसके कारण किसानों को कोई विशेष राहत नहीं मिल पाई है। आज भी, विक्रय और वसीयत के कारण अथवा उत्तराधिकार के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम बदलवाने के लिए पटवारी के चक्कर लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति मजबूर हो रहा है।

वर्षों तक खेती करने के बावजूद, आदिवासियों को उस भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है, केवल इस आधार पर कि, वह भूमि वन क्षेत्र में दर्ज है। वन भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर हजारों-लाखों आदिवासियों के बेदखली की कार्यवाही की गई और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। इसी प्रकार, जिन खातेदारों को अपनी भूमि में खनन हेतु खान विभाग लीज जारी करता है, उस पर खनन प्रारंभ करते ही उसके विरुद्ध राजस्व विभाग कार्रवाई प्रारंभ कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि खनिज विभाग, माइनिंग लीज टोपोशीट के आधार पर करता है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर का अंकन होता है। दोनों ही विभागों के रिकॉर्ड में अंतर के कारण ही, किसी भी व्यक्ति को माइनिंग लीज होने के पश्चात भी खनन करने से रोक दिया जाता है। इसके कारण न जाने कितना भ्रष्टाचार पनपता है? साथ ही, सरकार को राजस्व की हानि भी होती है।

**कृषि भूमि से संबंधित कानून और नियमों को सरल करके, उसके उपयोग पर प्रतिबंध हटाकर, तथा भू अभिलेख को पूर्णतया डिजिटलीकरण करने से नागरिकों को कानूनी विवादों और समस्याओं से बचाया जा सकता है क्योंकि अधिकांश झगड़ों के मूल में भूमि संबंधी विवाद ही है।**

भूमि के विवाद, एक बार उत्पन्न होने पर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, एडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और राजस्व अपील अधिकारी से होते हुए राजस्व मंडल तक पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा में कई साल लग जाते हैं और यह खर्चीला भी अत्यधिक होता है। एक सामान्य ग्रामीण किसी भी प्रकार, न्याय प्राप्त करने से वंचित रहता है। वह येन केन प्रकारेण 'सुविधा शुल्क' देकर राजस्व अधिकारियों से अपने हक में निर्णय कराने का प्रयास करता है। राजस्व मंडल के स्तर पर भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला हाल ही में सामने आया था, जहां राजस्व मंडल के सदस्यों तक पर प्रकरण तय करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग करने के आरोप लगे थे। यह निर्विवाद है कि अनिश्चितकाल तक प्रकरण लंबित रहने से ही पक्ष कार रिश्वत की राशि विभिन्न स्तरों पर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार वकील, राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के एजेंट तक का कार्य करते हैं। ये लोग पक्षकारों से संपर्क कर उनके पक्ष में निर्णय करने का वादा करके बड़ी धनराशि वसूल कर लेते हैं। यह अध्ययन का विषय हो सकता है कि केवल राजस्थान में ही एक वर्ष में, भूमि विवाद अपने पक्ष में कराने के लिए कुल कितने करोड़ों की राशि नागरिकों द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

हाल ही में एक परिचित मिले, जिन्होंने किसी व्यक्ति से उसकी खातेदारी भूमि खरीदी। विक्रेता ने यह भूमि जिससे खरीदी, उसे आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। तत्पश्चात इस भूमि पर जब माइनिंग लीज खनिज विभाग द्वारा जारी की गई। खनन करने के उद्देश्य से उन्होंने मशीन आदि पर काफी निवेश कर दिया। इसके बाद कुछ राजनीतिक लोगों ने इस मामले को गलत बताते हुए विरोध किया, तो आनन-फानन में जिस तहसीलदार ने गैर- खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार दिए थे, उसी ने खातेदारी को निरस्त करते हुए उसे पुनः गैर खातेदारी घोषित कर दिया। तदनुसार, पूर्व आवंटन निरस्त कर इस भूमि को पुनः राजकीय भूमि घोषित कर दिया और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन व्यक्तियों ने माइनिंग लीज ली, उनका उस भूमि पर किया गया लगभग 2 करोड़ का निवेश बेकार हो गया। इसकी अपील एडीएम एवं संभागीय आयुक्त के यहां की, जिन्होंने जिन्होंने तहसीलदार के फैसले को गलत मानते हुए अपास्त उसे अपास्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ यह भूमि विक्रेता- क्रेता के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी। ऐसा न कर इसकी अपील तहसीलदार द्वारा राजस्व मंडल में कर दी गई। कहा नहीं जा सकता, कितने वर्षों में इसका निर्णय होगा? अब वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो राजस्व मंडल के सदस्य के माध्यम से शीघ्र निर्णय करा सके।

कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन हेतु रूपांतरण भी एक बहुत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी धन राशि के लेन देन के आरोप लगते रहे हैं। इस बारे में असमंजस भी अनेक हैं। रूपांतरण कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा अथवा संबंधित नगर विकास न्यास या नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा, इस असमंजस का लाभ बिचौलिए उठाते है। कृषि भूमि के रूपांतरण का खेल बड़े शहरों की पेरिफेरी में बहुत चलता है। यह कल्पना ही की जा सकती है कि इस तरह अर्जित धन राशि में से किन-किन अधिकारियों को उसका हिस्सा पहुंचता होगा? राजस्व विवादों में कई बार राजनीतिक दबाव भी भरपूर होता है और राजस्व अधिकारी, राजनीतिक दबाव के आगे लगभग समर्पण कर देते हैं।

आज के युग में जब तकनीकी ने इतनी प्रगति की है, यह संभव नहीं है कि केवल एक ही नक्शा सभी विभागों में मान्य हो जो सेटेलाइट इमेज के आधार पर तैयार किए गए हों? तब मौक़े की स्थिति और रिकॉर्ड में कोई अन्तर नहीं होगा। इससे अनावश्यक विवादों की उत्पत्ति को ही रोका जा सकेगा। अधिकारियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे इस बात की निगरानी करें कि नामांतरण प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए। विलंब होने पर जवाबदेही निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न राजस्व अभियानों में भूमि लाखों प्रकरणों का निस्तारित होना ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सालों तक लोगों के उचित, वैधानिक कार्य लंबित रहते हैं। यह विडंबना ही है कि उस जिले की सराहना की जाती है जहां अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। होना तो यह चाहिए कि किसी भी जिले में कोई प्रकरण इस प्रकार का लंबित न रहें एवं अभियान की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः उनका निस्तारण नियमित रूप से होता रहे।

आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी प्रकार के दबाव में आए पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, सभी राजस्व अधिकारी भूमि संबंधी विवादों का तत्काल समाधान करें। ग्रामीणों की प्रताड़ना एवं उनसे रिश्वत लेने के लिए राजस्व विभाग प्रमुख माध्यम है।

नागरिको के लिए भूमि संबंधी जटिल प्रक्रियाएं और उससे उत्पन्न विवादों का लंबित रहना अत्यंत ही परेशानी का कारण है। यदि भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके, कानून और नियमों को स्पष्ट किया जा सके तो नागरिक विशेषकर गांवों में रहने वाले बहुत राहत अनुभव करेंगे।

इसी प्रकार, भूमि रूपांतरण संबंधी विवाद भी समाप्त हो सकते हैं यदि सरकार यह स्पष्ट कर दे कि किस प्रकार की भूमि पर क्या-क्या किया जा सकता है? उस प्रकार का उपयोग यदि खातेदार स्वयं करें तो उसे भूमि रूपांतरण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कृषि कृषि पर खातेदार, उद्योग लगाना चाहे तो उसे रूपांतरण कराना होता है और यदि जैसी संस्था उद्योग हेतु आवंटित करे तो वही सही हो जाता है। हाउसिंग बोर्ड, कृषि भूमि पर आवासीय योजना बनाएं, तो सही, और यदि खातेदार स्वयं अपने कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में ले, तो उसे अनियमित मानकर तोड़ने हेतु नोटिस दिया जाता है। इसे किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। देखा केवल यह जाना चाहिए कि निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया है अथवा नहीं।

कृषि भूमि से संबंधित कानून और नियमों को सरल करके, उसके उपयोग पर प्रतिबंध हटाकर, तथा भू अभिलेख को पूर्णतया डिजिटलीकरण करने से नागरिकों को कानूनी विवादों और समस्याओं से बचाया जा सकता है क्योंकि अधिकांश झगड़ों के मूल में भूमि संबंधी विवाद ही है।

**-अतिथि सम्पादक,**
**राजेन्द्र भाणावत**
**( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )**

### प्रथम पुण्य तिथि पर विशेष

# महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह

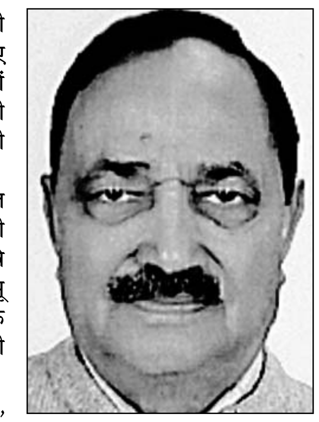

देवीसिंह नरूका

बिग्रेडियर रघुबीर सिंह एम.वी.सी.

**सन्** 1947 में देश का विभाजन ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग बेघर हुए और बिना उनके किसी दोष के हजारों लोग मारे गये। यह धार्मिक जुनून पडौसी मुल्क पर अब भी बरकरार हैं। इसी कारण से 1947-48, 1965, 1971 और 1999 के बडें.सघंर्ष के अतिरिक्त अब भी सीमा पर मुठभेड़ होती रहती है। पाकिस्तान कभी भी अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हुआ किन्तु जम्मू कश्मीर के मसले को जिंदा रखने के लिए संघर्ष का वातारण बनाये रखना ही वह ठीक समझता है।

सन् 1962 में चीन में पराजय, 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन और उसके बाद भद्र पुरूष लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री बने। यह ऐसा समय था जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सलाह से राष्ट्रपति जनरल अयूब खां ने भारत पर आक्रमण कर कश्मीर को हड़पने का मन बनाया। इसी के परिणाम स्वरूप भारत-पाक के बीच सन् 1965 में एक बडा युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत के 50 वर्ष सितम्बर 2015 में पूर हुए तब इसी जीत का जश्न देश में मनाया गया। इस युद्ध में भारतीय सेना के 3 हजार सैनिक शहीद हुए। इनमें से 183 राजस्थान के विभिन्न जिलों के थे। इसी युद्ध में सेना का दूसरा सर्वोच्च गेलेन्ट्री अवार्ड महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के एक मात्र अधिकारी थे बिग्रेडियर रघुबीर सिंह। इस युद्ध के राजस्थान के एक-एक सूरमा को अशोक चक्र और शौर्य चक्र, 5 को वीर चक्र और 2 को सेना मेडल प्रदान किये गये।

राजस्थान में टोंक जिले के सोडा गांव में जन्में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का 13 जून, 2021 में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सेना में सेवाकाल के दौरान अपने कार्य के प्रति कहा करते थे "मुझे गर्व और संतोष है कि मातृ भूमि भारत का भाल ऊंचा रखने के लिए मैंने तन मन की पूरी शक्ति से समर्पित भाव से कार्य किया।"

सितम्बर, 1965 के प्रारंभ में ले.कर्नल रघुवीर सिंह छुट्टियों पर जयपुर आ रहे थे। उसी समय 2 सितम्बर को रेवाड़ी रेल्वे स्टेशन पर उन्हें सूचना मिली कि युद्ध शुरू होने वाला है अतः उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उसी समय वहीं से वे अपनी बटालियन 18 राजपूताना राइफल्स की कमांड संभालने के लिए वापस रवाना हो गये और 3 सिम्बर को अपनी बटेलियन में सोलन (हिमाचल प्रदेश) पहुंच गये। 4 सितम्बर को उनकी बटेलियन को पंजाब में खेमकरण सेक्टर के लिए प्रस्थान करने के आदेश दिये गये। यही पर असल उत्तर की लडाई में अभूतपूर्व शौर्य प्रदर्शन करने के लिए उन्हे नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन द्वारा 'महावीर चक्र' से सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रपति द्वारा दिये गये गेलेन्ट्री अवार्ड के साईटेशन में लिखा गया है। "लेफ्टिनेंट कर्नल रघुबीर सिंह राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के 7 से 10 सितम्बर, 1965 के बीच कमांडर थें। जब पाकिस्तानी सेना ने इन पर हमला किया। 9 सितम्बर, 1965 की रात को लगभग 11 बजे चांदनी रात में दुश्मन ने बहुत जबरदस्त हमला कर बटालियन के आगे की कम्पनियों की पोजीशन में घुस गये।

लेफ्टिनेंट कर्नल रघुबीर सिंह ने यह जानते हुए भी कि दुश्मन का हमला बहुत जबरदस्त है फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी कमाण्ड पोस्ट से निकलकर और दुश्मन के तीन पेंटन टेंको की बीच से गुजरते हुए, तोपखानों के गोलों की बौछार को झेलते हुए अपनी आगे की कम्पनियों से जहां दुश्मन के टैंक घुस गये थे, अपने कम्पनी कमांडर से स्वयं संपर्क किया और दुश्मन के टैंको को नष्ट करवाया। इनकी हिम्मत और बहादुरी एवं नेतृत्व (लीडरशिप) से प्रेरित होकर इनके कम्पनी कमाण्डर्स ने दुश्मन के हमले का करारा उत्तर दिया और दुश्मन के 22 पैंटन अैंक ध्वस्त कर दिये।"

जयपुर राजवंश की राजावत शाखा (मानसिंह गोत) के ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह की मान्यता है कि सैनिक सेवा का गुण उनके रक्त में है। आमेर के राजा मानसिंह सम्राट अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उनके चाचा कर्नल रणजीत सिंह (1920-45) की अवधि में जयपुर राजय की सेना में थे। सन् 1943-44 में उन्हें उच्च पुरस्कार ओ.बी.ई. (आर्डर आफ ब्रिटिश एम्पायर) से सम्मानित किया गया था। जयपुर राजय के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को भी उसी समय यह सम्मान दिया गया था। बिगेडियर रघुबीर सिंह के एक पुत्र संग्राम सिंह और दामाद रणविजय सिंह भी सेना के उच्च पदों से सेवानिवृत्त है।

सन् 1942 में जयपुर राज्य की सेना सवाई मान गार्ड्स में भर्ती हुए ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह ने आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बैंगलोर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस समय केवल 10 प्रतिशत ही भारतीय अफसर होते थे। अयूब खां बाद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एवं राष्ट्रपति बने और ले. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) में करीब एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्म समर्पण स्वीकार किया। बैंगलोर में यह उच्च सैनिक अधिकारी उनके प्रशिसक थे।

सन् 1942 से 1974 तक के सेवावधि काल में ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह ने देश के लगभग सभी प्रदेशों में ही नहीं किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा के दौरान अनेक एशियाई और योरोप के देशों में उच्च सैन्य पदों पर अपनी संचालन कुशलता और शौर्य का परिचय दिया। सन् 1947-48 में जम्मू कश्मीर के उरी सैक्टर में उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुकाबला किया था।

अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों, मेडलों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मालित ब्रिगेडियर रघबीर सिंह ने 1971 में बंगलादेश युद्ध के करीब 1 लाख बन्दियों के निगरानी कैम्पों की देखरेख का उत्तरदायित्व मिलीट्री पुलिस के प्रोवोस्ट मार्शल की हैसियत से बडी कुशलता से संभाला था। महावीर चक्र प्राप्त कर जयपुर लौटाने पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने उनको सपरिवार अपने राजकीय निवास स्थान पर आमंत्रित कर सम्मानित किया। पूर्व जयपुर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने भी उन्हें सिरोपाव और तलवार भेंट कर ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी।

जयपुर के स्काटिश मिशन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह 1975 में सेना सेवा से निवृत्त हुए। उनकी सेवा भावना के कारण सोडा ग्राम वासियों ने उन्हें निर्विरोध सरपंच चुना और 15 वर्ष तक वे इस पद पर रहे। वह जिला परिषद टोंक के सदस्य भी रहे। इसके बाद उनकी सुपौत्री छवि राजावत ने सोडा ग्राम के सरपंच की जिम्मेदारी संभाली। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह की मान्यता थी कि पाकिस्तान से लडाई कभी भी हो सकती है किन्तु इस क्षेत्र में शांति के लिए कश्मीर समस्या का स्थाई समाधान आवश्यक है।

13 जून, 2021 को 99 वर्ष की आयु प्राप्त कर ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह स्वर्ग सिधार गयो। जयपुर के न्यू सांगानेर रोड, स्थित राजावत फार्म में ही उनकी पत्नी कैलाश कवंर की समाधी के पास ही उनकी समाधी का निर्माण करवाया गया है। भारतीय शूरवीरों की गाथा में वे अमर हैं।

**– देवीसिंह नरूका,**
**वरिष्ठ लेखक व पत्रकार**

# बाबा ने लकवाग्रस्त बच्चे को मिट्टी में दबाया

- **पिता ने कहा इलाज करवा कर हार गए तब बाबा के पास छोड़ा**
- **परिजनों के मुताबिक पिछले 8 महीने से बच्चा बाबा के पास रह रहा था**

**सूरतगढ़** , (निसं)। एक बाबा का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में रात के समय बाबा ने एक 14 साल के बच्चे को मिट्टी में दबाया हुआ है। बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है। उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा काम नहीं करता है। बाबा का दावा है कि वो बच्चे का इलाज कर रहा है।

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सूरतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक शिवरतन गोदारा ने मामले पर संज्ञान लिया है। बच्चे के पिता दिनेश का कहना है कि हमने अपने बच्चे को इलाज के लिए काफी जगह ले कर गए हैं, परन्तु किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होने के कारण हमने बच्चे को जगननाथ बाबा के पास छोड़ा है। इनके द्वारा बच्चे को योग से इलाज किया जा रहा, जिससे काफी सुधार है। हमें बाबा द्वारा किए जा रहे इलाज से कोई आपत्ति नहीं है। परिजनों के मुताबिक पिछले 8 महीने से बच्चा बाबा के पास रह रहा था। पिता का कहना है कि बच्चा जन्म से शारीरिक रूप से विकलांग है। बच्चे के पिता ने बताया कि उसके दो संतान है एक बेटी और एक बेटा है दोनों ही इसी तरह से विकलांग हैं। उनका दावा था कि इससे पहले बाबा ने चार-पांच बच्चों को ठीक कर चुका है। पुलिस उपाधीक्षक शिवरतन गोदारा ने बताया कि बच्चे को बाबा से छुड़वा लिया है। बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं सिटी थाना के सहायक उपनिरीक्षक नूर मोहम्मद ने बच्चे का मेडिकल मुआयना भी करवाया है। बहरहाल परिजनों की तरफ से कोई परिवाद मिलने पर ही बाबा के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

# कचरा डिपो बना मालपुरा कोर्ट परिसर का पार्क

- **लाखों की लागत से तैयार पार्क में हुए घटिया निर्माण की खुली पोल**

**मालपुरा कोर्ट परिसर में कचरा डिपो बने पार्क में घटिया निर्माण से नाले क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।**

**मालपुरा,** (निसं)। नरगपालिका प्रशासन द्वारा दो साल पूर्व लाखों रुपयों की लागत से मालपुरा कोर्ट परिसर में तैयार किया गया पार्क स्थानीय प्रशासन की उदासीनता व देखरेख के अभाव में कचरा डिपो बना हुआ है। वहीं लाखों की लागत से बनाये बरसाती नाले के फेराकवर व सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो जाने से घटिया निर्माण की पोल खुलकर सामने आ गई है।

वर्ष 2019 में शहर के सौन्दर्यकरण का बीड़ा उठाये तत्कालीन पालिका अध्यक्ष व प्रशासन द्वारा मालपुरा कोर्ट परिसर में लाखों रुपयों की लागत से पार्क निर्माण करवा कर बाहर से मंगवाकर घास व पौधे लगाये गये थे लेकिन स्थानीय पालिका प्रशासन की उदासीनता व देखरेख के अभाव में महज दो साल में ही यह पार्क कचरा डिपो में तब्दील हो गया। घास व पौधे सूख जाने से हरियाली उजड़ गई।

इतना ही नहीं नवीन न्यायालय भवन से जयपुर सड़क मार्ग तक बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाये गये नाले की जगह-जगह से सुरक्षा दीवार व फेरोकवर महज दो साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। पंचायत समिति के मुख्य गेट के सामने क्षतिग्रस्त हुए यह नाले दुर्घटना का आये दिन कारण बने हुए हैं तो लाखों रुपयों की लागत के घटिया निर्माण की भी पोल खुलकर सामने आ गई। पंचायत समिति व न्यायालय के साथ एएसपी व डीवाईएसपी सहित तहसीलदार कार्यालय इसी परिसर में होने के बावजूद क्षतिग्रस्त हुए नाले तथा वीरान हुए पार्क स्वच्छ भारत स्वच्छ शहर अभियान की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके बावजूद किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।

राज्यसभा सांसद नीरज डांगी द्वारा पार्क का उद्घाटन किये जाने के बाद पंचायत समिति सभागार में कई बार जिला व उपखण्ड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों में आये प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी इसी रास्ते से होकर गुजरे लेकिन किसी ने भी पार्क की हो रही दुर्दशा की सुध लेना तथा घटिया निर्माण की जांच व क्षतिग्रस्त के नालों के दुरुस्तीकरण की जहमत नहीं उठाई।

## राशिफल मंगलवार 14 जून, 2022

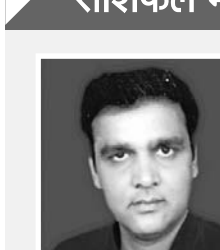

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, मंगलवार, विक्रम संवत 2079, ज्येष्ठा नक्षत्र सांय 6:32 तक, साध्य योग प्रातः 9:40 तक, विष्टि करण प्रातः 7:12 तक, चन्द्रमा सांय 6:32 से धनु राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थितिः** सूर्य-वृष, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मीन, बुध-वृष, गुरू-मीन, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज कुमार योग और ज्वालामुखी योग सांय 6:32 से आरम्भ होगा। भद्रा प्रातः 7:12 तक रहेगी। आज ज्येष्ठी पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठी पूर्णिमा पर्व (जैन), मन्वादि ओर सन्त कबीर जयन्ती है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर 9:02 से 10:44 तक, लाभ-अमृत 10:44 से 2:10 तक, शुभ 3:52 से 5:37 तक।

**राहूकालः** 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:17

**मेष**
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृष**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। नवीन कार्यों टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

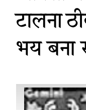

**मिथुन**
नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

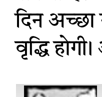

**कर्क**
व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

**सिंह**
अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

**कन्या**
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में पारिवारिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

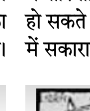

**तुला**
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

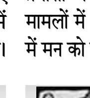

**वृश्चिक**
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

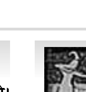

**धनु**
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अस्त-व्यस्त व्यावसायिक कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। मनःस्थिति ठीक रहेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार सम्पन्न होंगे।

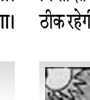

**मकर**
अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

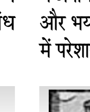

**कुंभ**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है।

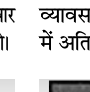

**मीन**
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।